RRNo. 2749
22-10-13

- 43 -E \Allotment Order 2013\Allotment II.doc

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांक 15 OCT 2013

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :–

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	प्रस्तावित आवास संख्या	सेवानिवृत दिनांक
1	42/2010	डा. राघवेन्द्र चौधरी, सहायक आचार्य मेडीसन विभाग, सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	3/, हीराबाग (6/5 हीराबाग के स्थान पर)	31.5.2034
2	18/2012	डॉ0 केशवदेव सहायक आचार्य पीआरएम (आरआरसी) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	5/6, हीराबाग जयपुर	31.7.2045
3	25/2012	डा0 नीरज चतुर्वेदी सहायक आचार्य (कार्डियोलोजी) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविधालय, जयपुर	II/36, गांधीनगर	31.7.2039
4	34/2012	डॉ0 संगीता ठुकरानी असिस्टेन्ट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	एम–2, गांधीनगर	30.6.2040
5	39/2012	श्री सौभाग प्रसाद जसोरिया शासन उप सचिव ग्रह (ग्रुप–4)विभाग शासन सचिवालय जयपुर	एन–24, गांधीनगर	31.10.2017
6	40/2012	श्री मुकन चन्द कानूगो अधीक्षण अभियन्ता (पी.एम.सी.एस.वाई.) सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर	एम–14, गांधीनगर	31.1.2015
7	41/2012	श्री एजाज नबी खान ई–कोषाधिकारी निदेशालय कोष एवं लेखा जयपुर	II/48, गांधीनगर	31.5.2026
8	42/2012	श्री बाल किशन साखला उपायुक्त (सांख्यिकी) कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर	II/40, गांधीनगर	31.5.2016
9	14/2013	श्री नरेन्द्र कुमार द्विवेदी उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जयपुर	704, सप्तम तल, मॉडल टाउन मालवीयनगर	31.8.2015
10	31/2013	डा0 वी.के. माथुर अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर	705, सप्तम तल, मॉडल टाउन मालवीयनगर	31.7.2020

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।

3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. **क्रम संख्या 9 व 10 पर अंकित अधिकारीयों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/– (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।**
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त, वाणिज्यक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, आर्थिक एवँ सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, चिकित्सा एवँ स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर।
15. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
16. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17. **प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
19. डा0 राघवेन्द्र चौधरी, निवासी 6/5, हीराबाग, जयपुर– कृपया परिवर्तित आवास संख्या 3/2, हीराबाग जयपुर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
20. संबंधित अधिकारीगण।
21. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
22. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

15/7/13

(मुन्ना लाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव